कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थितः– श्री अनिल संत कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :– **सर्वश्री वाडी लाल इण्डस्ट्रीज लि0, डी–23–24 परसाखेरा इण्डस्ट्रियल एरिया, बरेली।**

प्रा0प0सं0– **4 |5 / 2008**

प्रार्थी की ओर से– **श्री अनिल कुमार बाजपेई, अधिवक्ता ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा–59 के अन्तर्गत निर्णय

|– प्रार्थी के द्वारा दिनांक 26–||–08 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा–59 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें व्यापारी द्वारा निम्नलिखित वस्तुओं पर कर की दर की जानकारी चाही गयी हैः–

'' **What is the rate of tax payable in respect of the frozen deserts [ice cream] ''**

व्यापारी द्वारा बताया गया कि निर्माण की जा रही **deserts ice cream** की श्रेणी में आती है । केवल आइसक्रीम को मिल्क प्रोडेक्ट माना गया है । अतः उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसुची–2 के कमांक–81 के अनुसार **frozen deserts** पर 4प्रतिशत की दर से करदेयता बनती है। उक्त विज्ञप्ति की प्रविष्टि निम्नवत् हैः–

81	Milk food & milk products including skimmed milk powder, tinned, bottled or packed; Flavoured milk; UHT milk; milk powder; baby milk food; khoya/ khoa, paneer, cheese, cream, ghee, butter.

2– व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर एडिशनल कमिश्नर ग्रेड–| वाणिज्य कर, बरेली जोन, बरेली ने अपने पत्र संख्या–2707 दिनांक 17–12–2008 से आख्या प्रेषित की गयी है जिसमें उल्लेख किया गया है कि व्यापारी द्वारा स्वंय माह अक्टूबर, 2008 के नक्शो में **frozen deserts ice cream** की बिकी पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर जमा किया गया है तथा मिल्की आइसकीम पर 4 प्रतिशत की दर से कर जमा किया गया है। यह भी बताया गया कि **frozen deserts** को आइसकीम की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है क्योंकि **frozen deserts** मे मिल्क के अतिरिक्त और बहुत सी वस्तुओं का मिश्रण किया जाता है जैसे एन0एस0एफ0, एस0एम0पी0, फ्रूट, चाकलेट, ड्राई फ्रूट, फ्लेवर आदि मिलाया जाता है। अतः **frozen deserts** मिल्क प्रोडेक्ट की श्रेणी में न होने के कारण अनुसुची–5 के अन्तर्गत करदेय होना चाहिए।

3– धारा–59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री अनिल कुमार बाजपेई, अधिवक्ता उपस्थित हुये और उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा निर्मित **frozen deserts** मिल्क प्रोडेक्ट की श्रेणी में आता है । उन्होनें अपने कथन के समर्थन में मिल्क एंड मिल्क प्रोडेक्ट आर्डर, 1992 में अंकित मिल्क प्रोडेक्ट की परिभाषा से अवगत कराया गया । यही नहीं उनके द्वारा मान0 अधिकरण के द्वारा कमिश्नर वाणिज्य कर बनाम सर्वश्री क्वालिटी रेस्टोरेन्ट के वाद में दिये गये निर्णय से भी अवगत कराया गया तथा मान0 अधिकरण द्वारा सर्वश्री आर0पी0मिल्क प्रोडेक्ट प्रा0लि0के वाद में दिये गये निर्णय से भी अवगत कराया गया ।

4– मेरे द्वारा व्यापारी के धारा–59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, प्राप्त आख्या, तथा विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अन्य अभिलेखों का परीक्षण किया गया । जहॉ तक मिल्क प्रोडेक्ट आर्डर 1992 में अंकित मिल्क एंड मिल्क प्रोडेक्ट की परिभाषा का प्रश्न है उक्त मिल्क प्रोडेक्ट आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी किया गया था जिसका उदेश्य मिल्क से निर्मित कुछ वस्तुओं पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के

कमशः पृष्ठ 2 पर

<u>सर्वश्री वाडी लाल इण्डस्ट्रीज लि0, डी—23—24 परसाखेरा इण्डस्ट्रियल एरिया, बरेली।</u>
<u>प्रा0प0सं0—4 I5 / 2008</u>

अन्तर्गत मिल्क प्रोडेक्ट के अन्तर्गत आइसक्रीम में सम्मिलित किये जाने मात्र से आइसक्रीम मिल्क प्रोडेक्ट की श्रेणी में नहीं आ जाती क्योंकि मिल्क प्रोडेक्ट आर्डर 1992 के उदेश्य की पूर्ति हेतु ही मिल्क प्रोडेक्ट में आइसक्रीम को रखा गया था परन्तु इससे आइसक्रीम की परिभाषा नहीं बदल जाती है। अतः विद्वान अधिवक्ता का उक्त तर्क मानने योग्य नहीं है । जहॉ तक कमिश्नर बनाम सर्वश्री क्वालिटी रेस्टोरेन्ट रिवीजन संख्या—615 आफ 1978 के वाद में मान0 अधिकरण के निर्णय का प्रश्न है उक्त निर्णय में मान0अधिकरण द्वारा स्वंय यह लिखा गया है कि —

''As icecream is prepared from milk and contains nothing but milk.''

अर्थात उक्त निर्णय से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि आइसक्रीम में केवल मिल्क होता है और कुछ नहीं होता है परन्तु प्रस्तुत वस्तु को मिल्क प्रोडेक्ट की श्रेणी में सम्मिलित किया जाना उपरोक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में भी गलत होगा क्योंकि जिस वस्तु के अर्थात **frozen deserts** पर करदेयता की जानकारी चाही गयी है वह उसमें केवल मिल्क नहीं होता है बल्कि मिल्क के अतिरिक्त नट्स, ड्राईफ्रूट, चाकलेट एवं विभिन्न प्रकार के अवयव फ्लेवर के उदेश्य से मिलाये जाते है। अतः **frozen deseतजे** को मिल्क प्रोडेक्ट की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। व्यापारी द्वारा विभिन्न प्रकार के **frozen deseतजे** का निर्माण किया जाता है । उनके द्वारा जो **frozen deserts** की एक सूची पत्रावली पर दाखिल की गयी है जिसमें विभिन्न अवयवों का प्रतिशत दिखाया गया है । जैसे Mix, Nuts & pulp,TS IN MIX,Sugar / Glucose,SNF,Dairy Fat,Vag Fat , Dairy Solid, आदि उक्त प्रतिशत देखने से यह बात स्वंय प्रमाणित हो जाती है कि **frozen deserts** में मिल्क / मिल्क प्रोडेक्ट के अतिरिक्त विभिन्न अन्य अवयव भी सम्मिलित होते है। यही नहीं साधरण बोलचाल की भाषा में भी **frozen deserts** को आइसक्रीम से भिन्न माना जाता है । मान0 वाणिज्य कर अधिकरण द्वारा सर्वश्री आर0पी0मिल्क प्रोडेक्टस प्रा0लि0में दिया गया निर्णय प्रस्तुत वाद में लागू नहीं होता है । अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये यह पाया गया कि **frozen deserts** मिल्क प्रोडेक्ट की श्रेणी में नहीं आता है और यह अवर्गीकृत है अतः अनुसुची—5 के अन्तर्गत 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता निर्धारित की जाती है। व्यापारी द्वारा स्वंय माह अक्टूबर, 2008 के नक्शे में भी **frozen deserts** पर 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता स्वीकार करके कर जमा किया गया है तथा आइसक्रीम पर 4 प्रतिशत की दर से कर जमा किया गया है। यह तथ्य भी इस बात को बल देता है कि व्यापारी स्वंय **frozen deserts** को मिल्क प्रोडेक्ट / आइसक्रीम से भिन्न मानते है।

5— प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा—59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6— इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को, एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को तथा एक प्रति वैव साइट में डालने हेतु भेजी जाय।

दिनांकः: 20 मार्च, 2009

ह0 / 20—3—09
(अनिल संत)
कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।